

12.अन्य दायित्वों का निर्वहन :- चयनित व्यक्ति के हिन्दी/छत्तीसगढ़ी सिनेमा में रचनात्मक लेखन, निर्देशन, अभिनय, पटकथा, निर्माण कार्य आदि के संबंध में समारोह के समय एक सचित्र स्मारिका जारी की जावेगी जिसमें सम्मान के उद्देश्य, स्वरूप, सम्मान प्राप्त के विवरण आदि का समावेश होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निहारिका बारिक सिंह, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 13 नवम्बर 2017

किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण

क्रमांक एक - 2-30/2017/30/स. — प्रस्तावना :- छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग ने हिन्दी/छत्तीसगढ़ी सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशन के क्षेत्र में उपलब्धि तथा दीर्घ साथना का सम्मानित करने और इनमें कीर्तिमान विकसित करने की दृष्टि से राष्ट्रीय स्वर के अलंकरण की स्थापना की है। इस पुरीत कार्य में व्यक्तियों के योगदान को प्रोत्साहित करने, मान्यता देने एवं प्रतिष्ठा मिडित करने के उद्देश्य से राज्य शासन ने हिन्दी/छत्तीसगढ़ी सिनेमा में निर्देशन के क्षेत्र में कार्यरत् व्यक्ति को “किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण” देने का निर्णय लिया है।

इस सम्मान के विनियमन एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं:-

1. **संक्षिप्त नाम -** (1). इन नियमों का संक्षिप्त नाम “किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण नियम-2017” है।
 (2) ये नियम शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे।
2. **परिभाषा -** इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-
 अ. “अलंकरण” से तात्पर्य किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण से है।
 ब. “निर्णायिक मंडल” से अभिप्राय इन नियमों के नियम-4 के अंतर्गत गठन किये जाने वाले निर्णायिक मंडल (जूरी) से है।
3. **अलंकरण का स्वरूप -** हिन्दी/छत्तीसगढ़ी सिनेमा में निर्देशन के क्षेत्र में उल्कृष्ट कार्य करने वाले एक व्यक्ति को प्रतिवर्ष “किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण” राशि रूपये 10 लाख (रुपये दस लाख) नगद एवं प्रशस्ति पत्र के रूप में ही जायेगी। अलंकरण हिन्दी/छत्तीसगढ़ी सिनेमा में निर्देशन के क्षेत्र में उल्कृष्ट कार्य करने वाले

एक व्यक्ति को प्रत्येक वर्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा चयन होने पर दिया जाएगा।

4. निर्णायक मंडल का गठन:- राज्य शासन, हिन्दी/छत्तीसगढ़ी सिनेमा में रचनात्मक लेखन, सुप्रसिद्ध निर्देशक, अभिनय, पटकथा निर्माण क्षेत्र के राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित फ़िल्म विशेषज्ञों, समीक्षकों का एक निर्णायक मंडल (जूरी), जो सामान्यतः पांच सदस्यीय होगी, का गठन करेगा। चयन समिति में तीन सदस्यों की उपस्थिति होने पर बैठक आयोजित की जा सकेगी।

5. निर्णायक मण्डल की शक्तियाँ :-

- 1) निर्णायक मण्डल की अनुशंसा पर अंतिम रूप से चयनित एक सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की घोषणा राज्य शासन द्वारा की जाएगी।
- 2) अलंकरण के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जावेगी।
- 3) संबंधित अलंकरण वर्ष के लिए प्राप्त प्रविष्टियों के अलावा निर्णायक मंडल (जूरी) स्विवेक से ऐसे निर्देशक के नाम पर विचार कर सकेगा, जिन्हें वह अलंकरण के उद्देश्यों के अनुरूप पाए।
- 4) प्रत्येक वर्ष के अलंकरण के लिए एक सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का चयन होगा।
- 5) निर्णायक मंडल (जूरी) की बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहेगी एवं उसके द्वारा सर्वानुमति से की गई लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुए विचार—विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जावेगा।
- 6) निर्णायक मंडल के माननीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किये जाने पर उन्हें राज्य के वरिष्ठ अधिकारी ग्रेड-ए के समकक्ष श्रेणी में यात्रा करने तथा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा अर्थात् माननीय सदस्यों को वायुयान से यात्रा करने का अधिकार प्राप्त होगा तथा इसका भत्ता प्राप्त होगा।

6. चयन की प्रक्रिया:- अलंकरण के लिए उपयुक्त फ़िल्म निर्देशकों के चयन की प्रक्रिया निमानुसार रहेगी :-

- 1) जिस वर्ष के लिए अलंकरण प्रदान किया जाना है, उस वर्ष के लिए प्रविष्टियाँ आमंत्रित करने हेतु संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व द्वारा प्रमुख समाचार—पत्रों में

राज्य शासन की ओर से जनसंपर्क संचालनालय के माध्यम से विज्ञापन/विभाग के वेबसाईट पर प्रकाशित कराया जाकर नियमानुसार प्रविष्टियाँ आमंत्रित की जावेगी। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियाँ विचार के लिए मान्य नहीं की जावेगी।

- 2) प्रविष्टि संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व को प्रस्तुत की जावेगी। प्रविष्टि निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत की जाए :-
 क. व्यक्ति का पूर्ण परिचय, पता व फोटोग्राफ।
 ख. हिन्दी/छत्तीसगढ़ी सिनेमा में निर्देशन के क्षेत्र में किये गये कार्यों की जानकारी।
 ग. यदि कोई अन्य सम्मान/पुरस्कार/अलंकरण प्राप्त किया हो, तो उसका विवरण।
 घ. हिन्दी/छत्तीसगढ़ी सिनेमा में निर्देशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य की जानकारी व प्रमाण एवं उत्कृष्ट कार्य करने के संबंध में प्रकाशित सामग्रियों की छायाप्रति/सी.डी./डी.वी.डी। (उपलब्धतानुसार)
 च. हिन्दी/छत्तीसगढ़ी सिनेमा में निर्देशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र/पत्रिकाओं/ग्रंथ के मुख्यपृष्ठ की फोटो प्रति (सत्यापित) यदि कोई हो।
 छ. चयन होने की दशा में अलंकरण ग्रहण करने के संबंध में संबंधित निर्देशक की लिखित सहमति।
- 3) (अ) चयन के लिए नियमों में निर्दिष्ट मानदण्डों के अलावा कोई और शर्त लागू नहीं होंगी।
 (ब) एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित व्यक्ति का कार्य दोबारा अलंकरण हेतु विचारणीय नहीं है।
- 4) प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चात्यर्ती पत्र-व्यवहार पर अलंकरण के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- 5) प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का रहेगा तथा राज्य शासन किसी भी विवाद की स्थिति में पक्षकार नहीं माना जाएगा।

- 6) निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों को संबंधित अलंकरण वर्ष की पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में समस्त प्रविष्टियों को पंजीकृत किया जावेगा—

क्र.	अलंकरण हेतु निर्देशक का नाम तथा पता	प्रस्तावक का नाम पद एवं पता	उपलब्धियों का विवरण	प्राप्त सम्मान/पुरस्कार	कार्य अनुभव का वर्ष
1.	2.	3.	4.	5.	6.

7. चयन का मानदंड :—

अलंकरण के लिए हिन्दी/छत्तीसगढ़ी सिनेमा में निर्देशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति के चयन के लिए निम्नलिखित मानदण्ड रहेंगे :—

- 1) अलंकरण के लिए निर्णायक मण्डल (जूरी) द्वारा ऐसे फिल्म निर्देशक का चयन किया जावेगा जिन्होंने समर्पित भाव से हिन्दी/छत्तीसगढ़ी सिनेमा में निर्देशन के क्षेत्र में दीर्घकालीन उत्कृष्ट सेवा की हो।
- 2) निर्णायक मण्डल द्वारा भूतकालिक एवं वर्तमान दोनों प्रकार के हिन्दी/छत्तीसगढ़ी सिनेमा में निर्देशन के क्षेत्र में कार्यों का मूल्यांकन होगा।
- 3) व्यक्ति अथवा प्रस्तावक द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि अलंकरण के लिए प्रस्तावित व्यक्ति ने हिन्दी/छत्तीसगढ़ी सिनेमा में निर्देशन के क्षेत्र में दीर्घकालीन सेवा की है।
- 4) अलंकरण हिन्दी/छत्तीसगढ़ी सिनेमा में निर्देशन के समग्र योगदान के आधार पर दिया जाएगा।
- 5) यह भी देखा जाएगा कि हिन्दी/छत्तीसगढ़ी सिनेमा में निर्देशन के क्षेत्र में नयी पद्धति और नये क्षेत्र को किस सीमा तक और कितनी सघनता से अपनाया गया है।
- 6) निर्णायक मण्डल के परिवार के सदस्य उस वर्ष के अलंकरण के लिए अपनी प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे।
- 7) यदि चयन समिति अलंकरण के लिए किसी निर्देशक को उपयुक्त नहीं पाती है, अथवा प्रविष्टियां प्राप्त नहीं होती हैं तो उस वर्ष अलंकरण नहीं दिया जा सकेगा।